समाहरणालय,पटना
(जिला स्थापना शाखा)

फोन न०–0612–2219545(का०)
फैक्स न०–0612–2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
Dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक–IX-24/16 65 /स्था०, दिनांक 17/01/17

प्रेषक,

अपर जिला दण्डाधिकारी,
सामान्य, पटना।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
सभी विभाग के जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी,
पटना जिला।

विषय :– **वर्ष 2002–2003 से 2015–2016 के ए०सी० विपत्र के विरूद्ध लंबित डी०सी० विपत्र समायोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक–2928/स्था०, दिनांक 12.11.2016, पत्रांक–2965/स्था०, दिनांक 15.11.2016, पत्रांक–2991/स्था० दिनांक 18.11.2016, पत्रांक–3018/स्था०, दिनांक 23.11.2016 एवं पत्रांक 3222/स्था० दिनांक 19.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र का कृपया निदेश करें। उक्त पत्र द्वारा आपके कार्यालय से ए०सी० विपत्र के विरूद्ध लम्बित डी०सी० विपत्र का समायोजन कराते हुए विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करने का आग्रह किया गया था, परन्तु याचित प्रतिवेदन आज दिनांक 16.01.2017 तक अप्राप्त है। लम्बित डी०सी० विपत्र का समायोजन संबंधी पुनः समीक्षा जिला पदाधिकारी द्वारा की जानी है।

ध्यात्वय हो कि बिहार कोषागार संहिता–2011 के नियम 193 के अनुसार **"किसी भी मामले में विस्तृत विपत्र की प्रस्तुति में कोषागार से संक्षिप्त विपत्र की निकासी करने की तिथि से छः महीने से अधिक का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधि के बाद तब तक कोई भी संक्षिप्त विपत्र नहीं भुनाया जा सकेगा जब तक इन नियमों के अनुरूप विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता "।**

अतः वर्णित परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि बिहार कोषागार संहिता–2011 के नियम 193 का अनुपालन करते हुए लम्बित डी०सी० विपत्र के समायोजन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन पूर्व के प्रेषित विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

17/1/17

पटना जिला दण्डाधिकारी,
सामान्य, पटना।